राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांकः 02/11/20

: : आज्ञा : :

राज्य की सहकारी समितियां मुख्य रूप से किसानों के हित में कार्य करती हैं, जिनसे राज्य के किसानों के हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। राज्य में सहकारी आंदोलन को लोकतांत्रिक, स्वायत्त, सक्षम, सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए समस्त प्रकार की सहकारी समितियों यथा पैक्स, लैम्पस, दुग्ध समितियां इत्यादि के चुनाव प्रक्रिया, काम–काज, समितियों के समक्ष आ रही समस्याओं, इन समितियों, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के मध्य बेहतर आपसी सामंजस्य के संबंध में अध्ययन कर सुझाव, दिशा–निर्देश, इत्यादि के निर्धारण हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतदद्वारा किया जाता है:–

1. श्री परसादी लाल, — सदस्य
   मंत्री, उद्योग और राजकीय उपक्रम विभाग
2. श्री लालचन्द कटारिया, — सदस्य
   मंत्री कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
3. श्री प्रमोद भाया, — सदस्य
   मंत्री, खान एवं गोपालन विभाग
4. श्री अंजना उदयलाल, — संयोजक
   मंत्री, सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग

उक्त मंत्रीमण्डलीय उप समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सहकारिता विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 प्रीतम बी0 यशवन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव